संख्या-13/2022/आई0/238470/चौरासी-1-2022-001-27-2022

प्रेषक,

अतुल सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

नियंत्रक,
विधिक माप विज्ञान विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट-माप अनुभाग-1 लखनऊ:दिनांक 22 नवम्बर, 2022

विषय:- विधिक माप विज्ञान विभाग के सुदृढ़ीकरण के अन्तर्गत भारत सरकार की सहायता से विभाग की निर्माणाधीन 13 कार्यमानक प्रयोगशाला भवनों के निर्माण कार्य को पूर्ण किये जाने हेतु धनराशि रू0-2.94 करोड़ की स्वीकृति/आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-482/निविमावि-लेखा-7(25)भा0स0XIII/2022-23, दिनांक 10 नवम्बर, 2022 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा उप निदेशक, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले विभाग, विधिक माप विज्ञान शाखा, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली के पत्र संख्या-आई-8/3/2021-डब्लूएण्डएमसेक्शन, दिनांक 02-11-2022 की प्रति उपलब्ध कराते हुए विधिक माप विज्ञान विभाग, उ0 प्र0 की 13 जनपदों में निर्माणाधीन 13 कार्यमानक प्रयोगशाला भवनों के निर्माण कार्यो को पूर्ण किये जाने हेतु धनराशि रू0-2.94 करोड़ स्वीकृत करने का अनुरोध शासन से किया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि 13 कार्यमानक प्रयोगशालाओं यथा शामली, मथुरा, सण्डीला(हरदोई), रसड़ा(बलिया), अकबरपुर(अम्बेडकरनगर), पड़रौना(कुशीनगर), सहारनपुर, सिद्धार्थनगर, लहुरावीर (वाराणसी), बड़ौत(बागपत), खतौली(मुजफ्फरनगर), पलिया(खीरी) तथा लालगंज(आजमगढ़) के निर्माण किये जाने हेतु उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ को कार्यदायी संस्था नामित करते हुए शासनादेश संख्या-12/2020/310/84-1-2020-72/2017, दिनांक 24-07-2020 एवं 13/ 2020 /583/84-1-2020-72/2017, दिनांक 22-09-2020 द्वारा जिला स्तरीय एवं तहसील स्तरीय प्रति कार्यमानक प्रयोगशालाओं के भवन निर्माण की स्वीकृत लागत क्रमश: रू0-49.88 लाख एवं रू0-48.72 लाख के सापेक्ष धनराशि रू0-3,42,46,476.00 की स्वीकृति निर्गत की गयी थी।

3- भारत सरकार के उपरिसन्दर्भित पत्र दिनांक 02-11-2022 द्वारा अप्रयुक्त पड़ी धनराशि रू0-2.94 करोड़ को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में उपभोग करने की स्वीकृति राज्य सरकार को प्रदान करते हुए उपयोगिता प्रमाण-पत्र शीघ्रातिशीघ्र उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी है। अत: इन 13 कार्यमानक प्रयोगशालाओं का निर्माण कार्य पूर्ण करने हेतु अपेक्षित रिवेलीडेशन प्राप्त हो गया है। उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत 13 कार्यमानक प्रयोगशाला भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण कराने हेतु श्री राज्यपाल एतद्द्वारा धनराशि रू0-2.94 करोड़ की स्वीकृति निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते है:-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(1) नियंत्रक विधिक माप विज्ञान विभाग द्वारा उक्त धनराशि को आहरित कर किसी बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा। अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

(2) कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान विभाग की होगी।

(3) नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान विभाग यह भी सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

(4) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा। किसी अन्य मद में व्यय नहीं की जाएगी। यदि कोई धनराशि अवशेष बचती है तो वह समर्पित कर दी जायेगी।

(5) नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान विभाग यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।

(6) नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान विभाग द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07 जून, 2022 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। उपरोक्त आहरित की जाने वाली धनराशि उक्त शासनादेश एवं अन्य उल्लिखित सुसंगत वित्तीय नियमों के अधीन ही व्यय की जायेगी तथा उक्त धनराशि से निर्माण की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से शासन को समय-समय पर अवगत कराया जायेगा।

(7) अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

(8) निर्धारित मानक के अनुरूप प्रश्नगत 13 कार्यमानक प्रयोगशालाओं के निर्माण कार्य कराते हुए स्वीकृत धनराशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को शीघ्रातिशीघ्र उपलब्ध कराया जायेगा।

(9) शासनादेश दिनांक 24 जुलाई, 2020 एवं 22 सितम्बर, 2022 की शेष शर्ते यथावत रहेगी।

(10) भविष्य में प्रश्नगत कार्यो हेतु पुनरीक्षण अनुमन्य नही होगा तथा धनराशि का उपयोग समय से करते हुए उपयोगिता प्रमाण-पत्र कार्यदायी संस्था से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(11) निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्था उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ को अवमुक्त की जाने वाली धनराशि की वित्तीय स्वीकृति में आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी।

(12) निर्माण के समय क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर किया जायेगा। निर्माण ससमय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान विभाग, उ0 प्र0 लखनऊ का होगा। कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था से कार्य के सम्परीक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायेंगे।

4- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रूपये 2,94,00,000(रूपये दो करोड़ चौरानवे लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-21 के **अन्तर्गत लेखाशीर्षक "4059 लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय-आयोजनागत-60-अन्य भवन-051-निर्माण-01-केन्द्रीय आयोजनागत/**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

केन्द्र पुरोनिधानित योजनायें-0102-द्वितीयमानक प्रयोगशाला /कार्यमानक प्रयोगशाला/ कैलीब्रेशन टावर्स का भवन निर्माण-24-वृहत निर्माण कार्य" के नामें डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-7--163/दस-2022-23, दिनांक 21 नवम्बर, 2022 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

(अतुल सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-13 /2022/आई0/238470(1)/चौरासी-1-2022-001-27-2022, तद्दिनांक

प्रतिलिपिः-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रधान महालेखाकार, उ०प्र० प्रयागराज।
2- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी)प्रथम/द्वितीय, उ0 प्र0 प्रयागराज।
3- नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान विभाग, उ0 प्र0 लखनऊ।
4- जिलाधिकारी, शामली, मथुरा, हरदोई, बलिया, अम्बेडकरनगर, कुशीनगर, सहारनपुर, सिद्धार्थनगर, वाराणसी, बागपत, मुजफ्फरनगर, खीरी तथा आजमगढ़।
5- उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, उ0 प्र0 लखनऊ।
6- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7- उप निदेशक, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले विभाग, विधिक माप विज्ञान शाखा, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली
8- निदेशक वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
9- वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
10- वित्त (लेखा) अनुभाग-1/2
11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अशोक कुमार मिश्र)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।